

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)
(फोन- 07574-253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक 1331/दो-1-8/19

होशंगाबाद दिनांक 18.10.2020

प्रति,

- (1) समस्त न्यायालयों के पीठारसीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
- (2) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ,
होशंगाबाद/ इटारसी/ पिपरिया/ सोहागपुर/ सिवनीमालवा,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)
- (5) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)

—00—

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी/2632 जबलपुर दिनांक 16.10.2020 के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने हेतु पूर्व परिपत्र क्रमांक डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020, क्यू-12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 एवं बी/2655 जबलपुर दिनांक 24.07.2020 एवं इससे संबंधित अन्य परिपत्र एवं दिशानिर्देश के आलोक में जारी क्रमांक बी/4008 जबलपुर दिनांक 09.10.2020 की प्रभावशीलता दिनांक 19.10.2020 से 23.10.2020 एवं 31.10.2020 तक की अवधि के लिये बढ़ायी गयी है। दिनांक 19.10.2020 से 23.10.2020 एवं 31.10.2020 तक की अवधि में मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में सामान्य कार्य न होकर सीमित कार्य संपादित किया जाएगा, जिसमें ऐसे प्रकरण जो निराकरण की अंतिम अवस्था में हैं, जो अंतिम सुनवाई के लिए नियत हैं, जमानत आवेदन, रिमाण्ड प्रकरण, आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल अपील आदि जिनका निराकरण दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के तर्क सुनने के आधार पर बिना मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये किया जा सकता हो की ही सुनवाई की जावेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र के परिपालन हेतु इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक 1329/दो-1-8/19 होशंगाबाद दिनांक 18.10.2020 जारी किया गया है, जिसमें पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 1199/दो-1-8/19 होशंगाबाद दिनांक 19.09.2020 की प्रभावशीलता को दिनांक 19.10.2020 से 23.10.2020 एवं 31.10.2020 तक बढ़ायी गयी है। उक्त तिथि के मध्य जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं 2 के न्यायालयों में उपरोक्त प्रकरणों को छोड़कर शेष सुनवाई हेतु नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में आगामी तिथियां निम्न सारणी अनुसार नियत की जाती हैं:-

पेशी दिनांक

आगामी पेशी दिनांक

19.10.2020

10.12.2020

20.10.2020

11.12.2020

21.10.2020

12.12.2020

22.10.2020

14.12.2020

23.10.2020

15.12.2020

31.10.2020

16.12.2020

समस्त अभिभाषकगण और पत्रकारगण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31.10.2020 तक केवल अन्यावश्यक कार्य प्राप्त हुए हैं। न्यायालय परिसर एवं वार रूम में आयें एवं ग्यासफल अपने निवासीय कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्यावश्यक मामलों की सुनवाई में भाग लें तथा कारना वायरस के संक्रमण को रोकने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

(जे.पी. सिंह)

विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)
वास्ते- जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

पृष्ठांक - 1332/दी-1-8/19

होशंगाबाद दिनांक 18.10.2020

प्रतिलिपि:- सिस्टम ऑफिसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त सदस्यों को ई-मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाइट पर अपलोड करें।

वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)